ISSN 2320-4494
RNI No.MAHAUL03008/13/2012-TC

POWER OF KNOWLEDGE

An International Multilingual Quarterly Refereed Research Journal
UGC Approved

Special Issue - September 2017

म.शि.प्र.मंडळाचे

सुंदरराव सोळंके महाविद्यालय, माजलगाव आयोजित

आंतरविद्याशाखीय राष्ट्रीय परिषदेचा विशेषांक

हुंडा-एक समस्या : आव्हाने व उपाय

दि.११/०९/२०१७

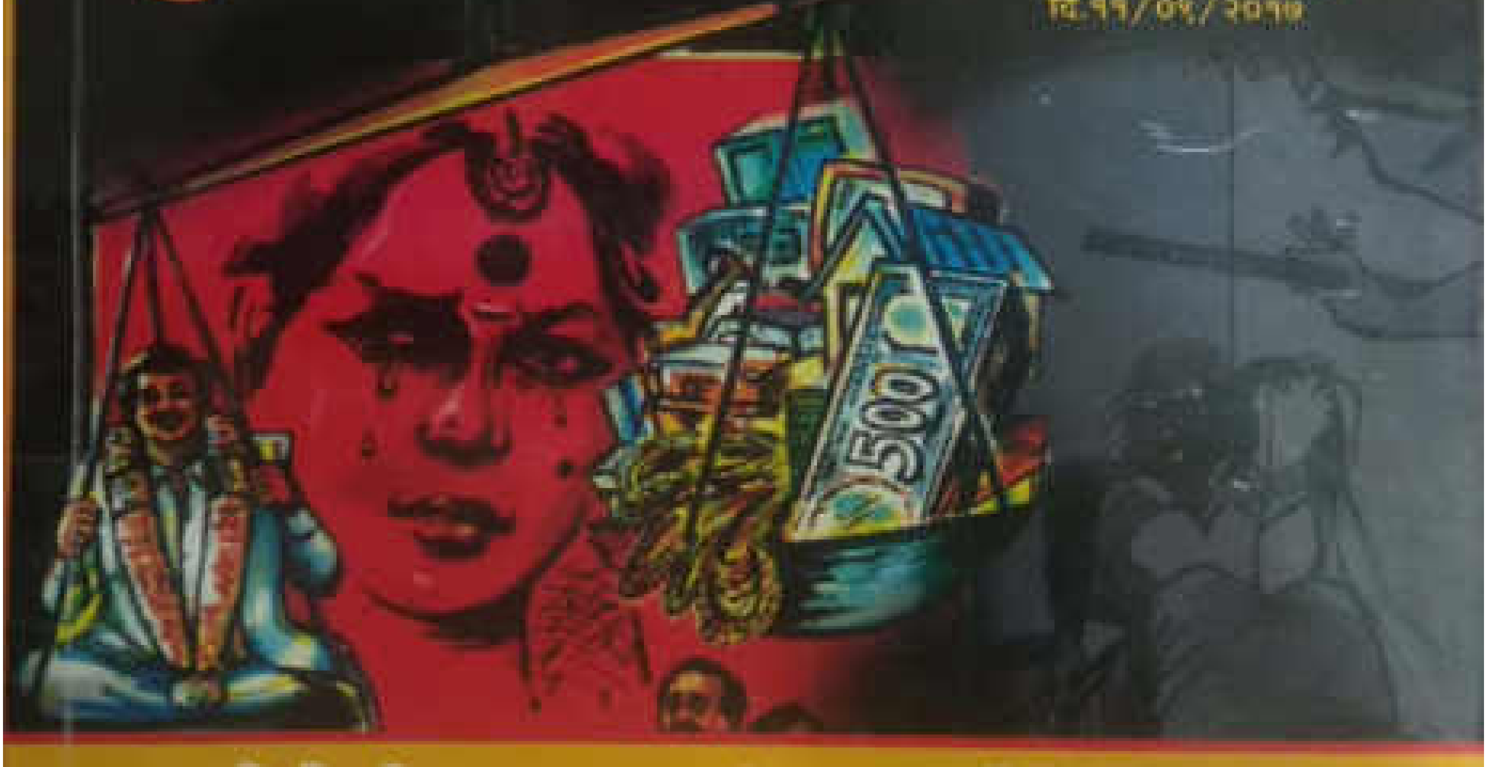

बोडके बी.आर.
(संपादक)

डॉ.व्ही.पी.पवार
(प्राचार्य)

Scanned by CamScanner

७९	समकालीन हिंदी कविता ओं में अभिव्यक्त स्त्री शोषण. (दहेज प्रथा के विशेष संदर्भ में)	डॉ. बाबासाहेब कोकाटे	[illegible]
८०	हुंडाबळी संदर्भात प्रशासनाची भूमिका	प्रा. शिंदे प्रकाश ज्योतीराम	[illegible]
८१	सामाजिक प्रतिष्ठा व लग्न सोहळ्यातील अवाढव्य खर्च	डॉ. ज्ञानेश्वर अंकुशराव देशमुख	[illegible]
८२	हुंडा - एक सामाजिक समस्या व उपाय	जाहीर भरत केवडा	[illegible]
८३	निर्मला उपन्यास में व्यक्त दहेज समस्या	प्रा.डॉ. पवार नागनाथराव [illegible]	[illegible]
८४	हुंडाप्रथा : कारणे, दुष्परिणाम व उपाय	प्रा. कसबे रविंद्रकुमार सुदाम[illegible]	[illegible]
८५	हुंडा पध्दत - सामाजिक समस्या व उपाय	प्रा. के. एस. बन	[illegible]
८६	हुंडा : एक सामाजिक समस्या व उपाय	प्रा. प्रकाश काळगे	[illegible]
८७	हुंडा व सामाजिक समस्या व उपाय	अमोल शशिकांत भोसले	[illegible]
८८	हुंडा पध्दती : कारणे, दुष्परिणाम आणि उपाय योजनांचा विश्लेषणात्मक अभ्यास	प्रा.डॉ. कदम एच.पी.	[illegible]
८९	हुंडा समस्या व त्यावरील उपाय	गुट्टे दगडू पांडुरंग	[illegible]
९०	हुंडाप्रथा : कारणे, स्वरूप, परिणाम व उपाय	प्रा.माधुरी तिरुपती [illegible], प्रा.डॉ.लिंगे बब्रुवान [illegible]	[illegible]
९१	हुंडा पद्धती समस्या व उपाय	प्रा.डॉ.मानकरी उत्तम [illegible]	[illegible]
९२	हुंडा एक सामाजिक समस्या व उपाय	प्रा. गायकवाड कुंडलिक व्यंकटराव	[illegible]
९३	हुंडा पध्दती : समस्या आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजना - एक अभ्यास	डॉ. राधाकृष्ण स. जोशी	[illegible]
९४	प्रेमचंद के उपन्यास निर्मला में दहेज प्रथा का चित्रण	प्रा.पोटफुले हिरा तुकाराम, डॉ.आर.बी.शिखरे	[illegible]
९५	हुंडाप्रथा : समाज व मराठी साहित्य	सहा. प्रा. काळे अंकुश	[illegible]
९६	हुंडा एक समस्या व कायदे विषयक उपाययोजना	प्रा. जे.टी. कांबळे	[illegible]
९७	हुंडा : एक सामाजिक समस्या व उपाय	डॉ. संतोष सुधाकरराव [illegible]	[illegible]
९८	हुंडा समाज व्यवस्थेतील एक सामाजिक समस्या व उपाय	प्रा.डॉ. बी. एस. [illegible]	[illegible]
९९	हुंडाप्रथा : कारणे, स्वरूप, परिणाम व उपाय	प्रा. वैशाली तुकाराम [illegible]	[illegible]
१००	हुंडा व सामाजिक समस्या आणि उपाय	प्रा. बाबासाहेब विश्वनाथ मुंडे	[illegible]
१०१	हुंडा एक सामाजिक समस्या आणि उपाय	निशांत [illegible]	[illegible]
१०२	हुंडा पध्दती : भारतातील समस्यात्मक स्वरूपाचा समाजशास्त्रीय अभ्यास	प्रा. शशिकांत [illegible]	[illegible]
१०३	हुंडाप्रथा : कारणे, स्वरूप, परिणाम व उपाय	[illegible]	[illegible]
१०४	हुंडा - एक सामाजिक समस्या आणि कायदा दृष्टिकोन - एक समाजशास्त्रीय अभ्यास विशेष संदर्भ [illegible] तालुका	प्रा. डॉ. [illegible]	[illegible]

Scanned by CamScanner

प्रेमचंद के उपन्यास निर्मला में दहेज प्रथा का चित्रण

डॉ.आर.जी.[illegible]
[illegible] महाविद्यालय
[illegible]

प्रा.पोटफोडे हिरा तुकाराम
कला व विज्ञान महाविद्यालय,
शिवाजीनगर,गढी,ता-गेवराई

प्रेमचंद की गणना हिंदी के निर्माताओं में की जाती है । प्रेमचंद ने 'असरारे मआबिद' (१९०३) से लेकर 'मंगलसूत्र' (१९३६ई.) तक कुल १५ उपन्यास लिखे । इन में से अधिकांश बड़े आकार के है और कुछ छोटे है। इन छोटे आकार के उपन्यासों में 'निर्मला' सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपन्यास है । सन १९२६ में दहेज प्रथा और अनमेल विवाह को आधार बनाकर प्रेमचंद जी ने इस उपन्यास का सृजन किया । यह उपन्यास इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाली महिलाओं की पत्रिका चांद में नवंबर १९२५ से दिसंबर १९२६ तक विभिन्न किस्तों में प्रकाशित हुआ । यह उपन्यास प्रेमचंदजी का प्रथम 'यथार्थवादी' तथा हिंदी का प्रथम 'मनोवैज्ञानिक' कहा जा सकता है। महिला-केंद्रित साहित्य में इतिहास में इस उपन्यास का महत्वपूर्ण स्थान है । निर्मला उपन्यास अनमेल विवाह और दहेज प्रथा के दुष्परिणाम को अभिव्यक्त करनेवाली दुखान्त कहानी है।इस उपन्यास में दहेज जैसी कुरितियों से निर्माण होनेवाली समस्या को चित्रित किया है। यह समस्या आज भी बदस्तुर चलने के कारण इसकी प्रासंगिकता इतने वर्ष बाद भी कम नही हुई है । इस उपन्यास में लेखक ने अनमेल-विवाह तथा दहेज प्रथा के बूरे प्रभाव को अंकित किया है। निर्मला के माध्यम से भारत के मध्यमवर्गीय महिला युवतियों की दयनीय हालत को चित्रित किया है। इस उपन्यास से पूर्व ही प्रेमचंद जी ने समाज की कई कुरितियों एवं बुराइयों को लेकर अपने उपन्यासों का विषय बनाया था। प्रेमचंदजी ने विधवा विवाह की समस्या,कल कारखानों के दुष्परिणाम,आभूषण प्रेम,जमींदारी प्रथा,किसानों पे हो रहे अत्याचार,पंडे पुजारियों द्वारा समाज में फैला जा रहा पाखण्ड का चित्रण अपनी उपन्यासों में किया है। निर्मला उपन्यास के संबंध में 'अमृतराय' जी अपनी पुस्तक 'कलम का सिपाही' में कहते है की- "इतनी सच्ची,मार्मिक, खासकर औरतों के दिल को भानेवाली कहानी मुंशी जी ने दुसरी नहीं लिखी । पढ़ने वाले दहल उठे,रो-रो पड़े । कैसा डरावना आइना उन्होंने समाज के सामने रख दिया था । हर रोज जो इतने अनमेल ब्याह होते है,देखो उसका क्या हश्र होता है । देखते सब है,कहता कोई नहीं । मुंशी जी ने कह दिया,और बहुत डूब कर कहा ।"(१)

महिला केंद्रित इस उपन्यास की कथा केंद्र और प्रमुख पात्र एक पंद्रह वर्षीय सुंदर और सुशील लड़की निर्मला है। निर्मला के पिता उदयभानुलाल जी एक इमानदार वकील है जो अपनी पुत्री का विवाह बाबू भालचंद्र के ज्येष्ठ पुत्र भुवनमोहन से तय करते है । दोनों पक्ष में दहेज की लेन देन संबंध में कोई बात नही होती बल्कि यह निश्चित किया जाता है की बारातियों का स्वागत सत्कार अच्छे से होना चाहिए । लेकिन विवाह में बारातियों का स्वागत कितना भी अच्छा,उत्तम प्रकार से क्यों न किया जाए किन्तु बाराती उसमें किसी न किसी प्रकार की कमी निकाल ही लेते है | दुसरों से कर्जा लेकर ही क्यों न हो बाबू उदयभानुलाल अपनी पुत्र का विवाह उत्तम करना चाहते है।इस संदर्भ में निर्मला के माता-पिता में नोक-झोंक भी होती है। प्रेमचंद जी ने बाबू उदयभानुलाल की पत्नी कल्याणी के माध्यम से बारातीयों द्वारा किये जाने वाले नाज-नखरों का सुंदर चित्रण किया है,- "जबसे ब्रम्हा ने सृष्टि रची, तबसे आज तक कभी बारातियों को कोई प्रसन्न न रख सका । उन्हें दोष निकालने और निंदा करने का कोई न कोई अवसर मिल ही जाता है । जिसे अपने घर सुखी रोटीयां भी मयस्सर नहीं,वह भी बारात में जाकर तानाशाह बन बैठता है। तेल खुशबुदार नहीं,साबुन टके सेर का जाने कहाँ से बटोर लाये,कहार बात नही सुनते,लालटेन धुआं देती है,कुर्सियों में खटमल है,चारपाइयां ढीली है,जनवासे की जगह हवादार नही ।...ऐसी-ऐसी हजारों शिकायतें होती है। लालटेन ऐसी भेजी है कि आंखे चमकने लगती है,अगर दस-पांच दिन इस रोशनी में बैठना पड़े तो आंखें फुट जाए,[illegible]

का है,जवानी का भाव है , जिस पर चारों तरफ से झोंके आते रहते है।"(२) इससे स्पष्ट है की बारातियों का स्वागत सत्कार के लिए दहेज जैसा ही खर्चा होता है | बाबू उदयभानुलाल विवाह की तैयारी में लगे है किन्तु अकस्मात परिस्थितियों-वश बाबू उदयभानुलाल की मृत्यु हो जाती है । ऐसी स्थिति में कल्याणी अपने समधी के नाम एक पत्र लिखकर एक निवेदन करती है की विवाह में त्रुटि रह जाए तो मेरी दशा का विचार करके मुझे क्षमा कीजिएगा । परंतु शादी के संबंध में बाबू भालचंद्र अपने पुत्र भुवनमोहन की भी राय लेना जरूरी समझते है तो भुवनमोहन कहता है कि, "कहीं ऐसी जगह शादी करवाइए कि खूब रुपये मिलें । और न सही एक लाख का तो डौल हो,यहाँ अब क्या होगा ?"(३) यही मानसिकता आज भी हमारे समाज में है : और कितनी लड़कियों की शादी टूट रही है । इस पर रोक लगाना आवश्यक बन गया है ।

पिता उदयभानुलाल की मृत्यु हो जाने पर माता कल्याणी दहेज न दे सकने के कारण अपनी पुत्री निर्मला का विवाह भालचंद्र के बेटे भुवनमोहन से न कर एक अधेड़ उम्र के वकील तोताराम से कर देती है । जिसके पूर्व पत्नी से तीन बेटे है । प्रेमचंदजी ने वकील तोताराम का वर्णन इस प्रकार किया है,- "वकील साहब का नाम था मुंशी तोताराम । साँवले रंग के मोटे-ताजे आदमी थे। उम्र तो अभी चालीस से अधिक न थी पर वकालत के कठिन परिश्रम ने सिर के बाल पका दिये थे। व्यायाम करने का अवकाश न मिलता था । यहाँ तक कि कभी कहीं घूमने भी न जाते इसीलिए तोंद निकल आयी थी। देह के स्थूल होते हुए भी आये दिन कोई न कोई शिकायत रहती थी। मंदाग्नि और बवासीर से तो उनका चिरस्थायी संबंध था अतएव बहुत फूंक-फूंककर कदम रखते थे।" (४) ऐसे पुरुष के साथ किसी नवयौवना का दाम्पत्य जीवन सुख कैसे हो सकता है।

दहेज की मांग न होने के कारण निर्मला का विवाह बूढ़े वकील साहब से हो जाता है। इतना ही नही निर्मला के घर में आने पर एक नवयुवती वधू के हृदय की उमंगों का आदर और उसे अपना प्रेम देने के स्थान पर तोताराम को अपनी पत्नी और अपने बड़े लड़के मंसाराम के पारस्परिक संबंध पर खिलखिलाजन्य संदेह होने लगता है । यह संदेह न केवल मंसाराम के प्राण का कारण बनता है वरन सारे परिवार के लिए अभिशाप बन जाता है। दहेज जैसे घातक प्रथा से निर्मला अनमेल विवाह जैसे भयानक समस्या से निर्मला का जीवन तहस-नहस हो जाता है। परिवार में किसी के भी मन का प्रेम नो मिलाप नहीं हो पाता, जिसका परिणाम परिवार बिखर जाता है। निर्मला को किसी भी प्रकार की स्वाधीनता नहीं थी, विवाह के संबंध में उसके सामने कोई विकल्प नहीं था, लेकिन तोताराम के सामने विवाह के संबंध में विकल्प था। अगर वे चाहते तो अपने बड़े पुत्र से एक वर्ष छोटी यानी पंद्रह वर्ष की लड़की निर्मला से विवाह न करके निर्मला को बहू के रूप में घर में ला सकते थे। उनके परिवार में उनकी ४२ वर्ष की विधवा बहन उनके साथ रहती थी। पहली पत्नी से तीन पुत्र थे इन परिस्थितियों में उनके लिए विवाह करना अनिवार्य नहीं था फिर भी उन्होंने बेटे के उम्र की लड़की से शादी की। हमारे समाज में फैली इस मानसिकता में परिवर्तन लाना जरूरी है। आज भी हमारे देश में कई निर्मलाएँ इसी तरह के पुरुषों से दहेज न दे पाने के कारण गले में बांध दी जाती है और अंत में घुट-घुटकर मर जाती है।

हमारे समाज में लड़की को अपने जीवन के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। जीवन का सबसे बड़ा निर्णय विवाह के संबंध में भी लड़की की राय नहीं ली जाती। बड़ों के निर्णय को उसे अपना निर्णय समझने पर मजबूर किया जाता है। जब निर्मला के विवाह की बातचीत चल रही थी , तब उसकी बहन कृष्णा उसे पूछती है की जिस तरह निर्मला को पिता के घर से निकालकर पति के घर भेज दिया जाएगा,क्या उसी तरह कृष्णा को भी किसी दिन निकालकर भेज दिया जाएगा। इस संदर्भ में दोनों बहने निर्मला और कृष्णा का संवाद हमारे समाज के हर लड़की के मन की वेदना को प्रकट करता है -

कृष्णा- और जब मैं चली जाऊँगी,तब क्या करोगी ? तब किसके साथ खेलोगी,किसके साथ घूमने जाओगी, बता ?

कृष्णा - मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अकेले मुझसे यहा न रहा जायेगा।

निर्मला- मुस्कुराकर बोली-तुझे अम्मा न जाने देगी।

कृष्णा - तो मैं भी तुम्हें न जाने दूंगी। तुम अम्मा से कह क्यों नहीं देती कि मैं न जाऊंगी ?

निर्मला- कह तो रही हूं,कोई सुनता है ?

कृष्णा- तो क्या यह तुम्हारा घर नहीं है ?

निर्मला- नहीं,मेरा घर होता तो कोई क्यों जबर्दस्ती निकाल देता ?

कृष्णा- इसी तरह किसी दिन मैं भी निकाल दी जाऊंगी ?

निर्मला- और नहीं तो क्या तू बैठी रहेगी ! हम लड़कियां है,हमारा घर कहीं नहीं होता।

कृष्णा- चन्दर भी निकाल दिया जायेगा ?

निर्मला- चन्दर तो लड़का है,उसे कौन निकालेगा ?

कृष्णा- तो लड़कियां बहुत खराब होती होंगी ?

निर्मला- खराब न होती तो घर से भगायी क्यों जाती ?"(५)

अतः स्पष्ट है कि निर्मला की जीवन कथा के जैसी ही हमारे देश की लड़कियां भी विवश है। निर्मला के जीवन त्रासदी का मूल कारण दहेज प्रथा है।

यह उपन्यास अनमेल विवाह और दहेज प्रथा जैसे दानव के बुरे प्रभाव को अभिव्यक्त करता है। प्रेमचंद ने निर्मला के माध्यम से भारत की मध्यवर्गीय लड़कियों की विवशता और दयनीय हालत का चित्रण किया है। निर्मला का चरित्र निर्मल है,फिर भी समाज में उसे अनादर एवं अवहेलना का शिकार होना पड़ता है। उस पर संदेह किया जाता है और इन्हीं विपरीत परिस्थितियों से जूझती हुई निर्मला मृत्यु को प्राप्त हो जाती है।

दहेज प्रथा हमारे समाज के लिए एक अभिशाप है। इस दहेज रुपी दानव ने घरों के घर और कितने लड़कियों का जीवन बरबाद किया है। दहेज की व्यवस्था न हो पाने के कारण जिंदगीभर घर-गृहस्थी और समस्याओं से जूझते एक स्त्री के जिंदगी की अंतर्वेदना त्रासदी ,दुखान्त कहानी निर्मला के माध्यम से हमारे सामने स्पष्ट है। इस उपन्यास में दहेज की समस्या केंद्र में है और उसके साथ अनमेल विवाह की समस्या भी है, जो दहेज की समस्या का परिणाम है। उपन्यास के अंत में निर्मला की मृत्यु होना इस कुत्सित सामाजिक प्रथा को मिटाने के लिए एक भारी चुनौती है। प्रेमचंदजी ने निर्मला के माध्यम से दहेज जैसी प्रचलित कुरीतियों का पर्दाफाश किया है। १९२६ की परिस्थितियों को देखकर दहेज जैसी बुरी प्रथा को समाज के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया था। प्रेमचंदजी ने इतने वर्षों से पहले इस समस्या को निर्मला में चित्रित करने के बावजूद भी आज दहेज जैसी खतरनाक प्रथा जिंदा है। सिर्फ उसका स्वरुप,प्रकार बदला है किन्तु आज भी उसका बुरा परिणाम समाज की लड़कियों और उनके परिवार को भुगतना पड़ रहा है।

संदर्भ सूची :-

१. प्रेमचंद : कलम का सिपाही-अमृतराय,पृष्ठ ,३९४, प्रस्तुत संस्करण २००५,हंस प्रकाशन, इलाहाबाद

२. निर्मला- प्रेमचंद, ,पृष्ठ ३

३. निर्मला- प्रेमचंद, ,पृष्ठ ,९६,९७

४. निर्मला- प्रेमचंद, ,पृष्ठ ,२९

५. निर्मला- प्रेमचंद, ,पृष्ठ ,३

Scanned by CamScanner